कार्यालय : जिला एंव सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0/10/2023/4051 दिनांक : 21/11/2025

संशोधित आदेश

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संवर्ग में कार्यरत कर्मचारीगण का राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (रूल्स डिविजन) की अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-IV datede 11-Dec- 2024, के बिन्दु संख्या 26 की अनुसूची–II के खण्ड–बी में, शीर्षक (i) में संशोधन किये जाने तथा राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा आदेश क्रमांक प.15(1) वित्त/नियम/2017 पार्ट दिनांकित 10.03.2025 व उक्त आदेश के संबंध में जारी स्पष्टीकरण दिनांकित 03.06.2025, 01.07.2025 तथा वित्तीय उन्नयन के संबंध में श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त मार्गदर्शन पत्र क्रमांक जी/आई/ए–4(i)(a)/150/2023/759 दिनांकित 14.08.2025 के अनुसरण में श्री मीणा का श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश के आदेश क्रमांक 3620 दिनांकित 17.10.2025 के द्वारा दिनांक 01.09.2024 को मूलवेतन 28400/– पर वेतनस्थिरिकरण किये जाने पर श्री मीणा का 18 वर्षीय द्वितीय एमएसीपी की दिनांक 17.11.2024 को श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–II के पूर्व आदेश क्रमांक 1471 दिनांकित 24.04.2025 में श्री गिरधारी लाल मीणा, च.श्रे.क. की हद तक आंशिक संशोधित वेतनस्थिरीकरण किया जाता हैः–

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	18 वर्ष पूर्ण करने की दिनांक तथा उक्त दिनांक को मूल वेतन एवं पे–लेवल	विघमान पे–लेवल में एक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए आगामी मूल वेतन	देय एसीपी में वेतन स्थिरीकरण की दिनांक को आगामी पे–लेवल में नियत मूल वेतन	आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	गिरधारी लाल मीणा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न्यायालयः– वाणिज्यिक न्यायालय क्रम सं0 04, जयपुर महानगर–II	18 वर्ष 17.11.2024 28400/–रूपये प्रतिमाह Pay Matrix L-3	मूलवेतन 29300/– (L-3)	17.11.2024(18 वर्ष) को 29900/–रूपये प्रतिमाह Pay Matrix L-04	01.07.2025

नोटः– उपरोक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका मे किया जावे।

–Sd–
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : स्था0 / 10 / 2023 / 4052

दिनांक : 21 / 11 / 2025

<u>प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है</u> :–

01. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय
02. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
03. संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर–द्वितीय।
04. सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
05. संबंधित कर्मचारी
06. आदेश पत्रावली / संबंधित पत्रावली / रक्षित पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर–द्वितीय